न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या 272/2017/225 आरटीए

1. हेतराम (मृतक)

1/1 बिमला उर्फ कमला पुत्री स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 गुड्डी पुत्री स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 कमला पुत्री स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 सुरस्वती पुत्री स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/5 देवीलाल पुत्र स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/6 बलवीर पुत्र स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/7 भूपसिंह (मृतक)

1/7/1 कृष्णादेवी पत्नि स्व. भूपसिंह पुत्र स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/7/2 संजय सिंह पुत्र स्व. भूपसिंह पुत्र स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/7/3 मंजू पुत्री स्व. भूपसिंह पुत्र स्व. हेतराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

**–: बनाम :–**

1. राममूर्ति पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ वर्तमान निवासी सागर रोड़ चौधरी चरणसिंह कन्या छात्रावास के पीछे तिलक नगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

––रेस्पो0/प्रार्थी

2. साहबराम पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/अप्रार्थी सं. 2 व 3

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी

प्रकरण संख्या 12/2015 अनवानी राममूर्ति बनाम हेतराम आदि

उपस्थित :–

श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री अनुभव सिड़ाना अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री दलवीरसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं. 3

निर्णय दिनांक –16.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के लिये रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही एवं विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना अपीलांट की बिना सहमति के प्रकरण को राजस्व लोक अदालत मे दौराने अभियान दिनांक 30.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार भी नही किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए सशपथ कोई ब्यान अदालत के समक्ष पेश नही किये और प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यो के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर नही है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान '' न्याय आपके द्वार 2017'' की मंशा किसी भी पक्षकार को हानि पहुंचाने की नही है। अभियान के अन्तर्गत उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता था जिनमे पक्षकारान की आपसी सहमति हो और लिखित मे राजीनामा प्रस्तुत किया गया हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। चक 19 केएनएन के प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 1 व 2 मे खाला की जगह 0.025 है0 को

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

छोड़कर अपीलांट की खातेदारी भूमि है। वर्तमान मे उक्त कि.न. 1 व 2 मे नरमा की फसल काश्त की हुई है तथा मौका पर कोई रास्ता चालू नही है व ना ही पूर्व मे कभी इस जगह रास्ता चालू रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये अपीलांट की कृषि भूमि चक 19 केएनएन के प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 1 व 2 मे रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ता स्वीकृत किये जाने से पूर्व विधिसम्मत रूप से अधीनस्थ अधिकारी या तो स्वयं या भू0अ0 निरीक्षक या उसके उपर के स्तर के अधिकारी से मौका पर निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तरह से विधि की पालना नही की है।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई विचार नही किया कि रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि मे जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता प.न. 285/369 कि.न. 21, 22 व 23 मे मौका पर चालू है और रेस्पो0 सं. 1 खाता विभाजन एवं घरूबंटवारा के समय से ही इसी रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा है। मौका पर वैकल्पिक रास्ता यदि रेस्पो0 सं. 1 को प्राप्त है तो इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विधिसम्मत रूप से नया रास्ता व सुविधा अनुसार भी नया रास्ता कायम करने का अनुतोष स्वीकार नही किया जा सकता, इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016–17 पेज 567 के अनुसार किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 की भूमि चक 19 केएनएन खाता सं. 68/71 प.न. 285/369 मु.न. 35 कि.न. 17, 24 प्रत्येक सालम, प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 4 सालम कुल 0.759 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने आपसी रजामंदी से चक 19 केएनएन खाता सं. 109/98 के प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 1 व 2 की उतर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम व खाता सं. 100/89, 90 प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 3 के उतर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम प्रत्येक एक बिस्सा रास्ता हेतु भूमि छोड़ी हुई है व इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु रेस्पो0 सं. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया गया जिसमे रेस्पो0 सं. 2 द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजीनामा प्रस्तुत कर कि.न. 3 मे रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत मे पत्रावली रखते हुए मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई और पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 सं. 1 की भूमि चक 19 केएनएन खाता सं. 68/71 प.न. 285/369 मु.न. 35 कि.न. 17, 24 प्रत्येक सालम, प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 4 सालम कुल 0.759 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने आपसी रजामंदी से चक 19 केएनएन खाता सं. 109/98 के प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 1 व 2 की उतर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम व खाता सं. 100/89, 90 प.न. 285/370 मु.न. 43 कि.न. 3 के उतर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम प्रत्येक एक बिस्सा रास्ता हेतु भूमि छोड़ी हुई है व इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक रास्ता बाबत कथन किया गया और रेस्पो0 सं. 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर कि.न. 3 मे रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत मे पत्रावली रखते हुए अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट के कथन एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए वैकल्पिक रास्ता होने संबंधी कथन किया गया। प्रकरण मे केवल एक पक्षकार द्वारा ही राजीनामा प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण मे समस्त पक्षकारान की सहमति नही थी। इसलिए न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016–17 पेज 567 के अनुसरण मे किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है जबकि राजस्व लोक अदालत मे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही पत्रावलियों का निस्तारण किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत मे एकपक्षीय रूप से बिना सहमति होते हुए रास्ता स्वीकृत कर दिया जो विधिसम्मत नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.06.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official